DrGenius Academy Welcomes You

Let’s Begin Journey Together And Achive Dream Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)

धारा 112 → कर को स्थगित करने या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति →

↓

राज्य सरकार के आदेश के अधीन रहते हुए

↓

धारा 103 अधिरोपित करों को।

धारा 113 → कर का निर्धारण और कर-निर्धारकों की नियुक्ति →

DrGenius Academy

धारा 113 (1) नियुक्ति → राज्य सरकार द्वारा

धारा 115 → कतिपय जानकारी देना तथा उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम →

(i) युक्तियुक्त समय के भीतर → स्वामी / अधिभोगी → (1) return के निश्चित format में जानकारी देगा

→ धारा 120 के तहत उस संपत्ति की जानकारी जिस पर कर मूलत: उद्ग्रहणीय (leviable) है।

अगर स्वामी | अधिभोगी → जानकारी देने मे निष्फल रहे या इन्कार कर दे

↓

कर निर्धारक स्व विवेक का प्रयोग करते हुए कर निर्धारण कर देगा।

धारा 115 → संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता →

(1) स्वामी → पुनर्निर्माण | परिवर्धन करने पर → उसके पूर्ण

होने की तारीख से 1 माह की भीतर सूचना देगा।

↓

विफलता की स्थिति में

↓

जुर्माना → 500 रु. से अनधिक
→ तीन माह के tax का 10 गुना
↓
जो भी ज्यादा हो।

धारा 116

भवन/भूमि पर करों के संदाय के लिए मूलत: दायी व्यक्तियों द्वारा हुए के समस्त अन्तरणों (transfer) के विषय में नगर पालिका को सूचना देना →

अन्तरणकर्ता तथा अन्तरिती द्वारा सूचना लिखित ⊗ में नगरपालिका को दी जाएगी।

(ii) मूलतः दायी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति → वारिस द्वारा सूचना दी जाएगा।

धारा 117 → सूचना का प्रारूप → 3rd अनुसूची के प्रारूप में
~~2nd अनुसूची~~ (था)

धारा 118 → अन्तारेती के नाम का नगरपालिका रजिस्टरों मे प्रतिस्थापन किया जाना →

नगरपालिका | उस व्यक्ति के स्थान पर (जो मूलतः दायी है) अन्तारेती का नाम प्रस्थापित कर देगी।

धारा 119 → अन्तरण की सूचना के अभाव मे भवनों/भूमियों पर करो के संदाय का दायित्व का बना रहना।

धारा 120 → कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है! →

→ **वास्तविक अधिभोगी** से उद्ग्रहणीय होगा

- स्वामी
- पट्टेदार
  - राज्यसरकार
  - नगरपालिका

(i) अगर संपत्ति पट्टे पर है ⇒ पट्टाकर्ता (Lessor)

(ii) अगर संपत्ति उपपट्टे पर है ⇒ वरिष्ठ पट्टाकर्ता (Superior Lessor)

(iii) अगर संपत्ति पट्टे पर नहीं है ⇒ उस व्यक्ति से जिसे पट्टे पर देने का अधिकार है।

DrGenius Academy

धारा 121 → करारोपण से संबंधित अपीलें →

कर निर्धारण के विरुद्ध अपील तथा 130 के तहत किसी मांग के नोटिस के विरुद्ध अपील →

(i) नगर निगम की स्थिति में → आयुक्त को

(ii) नगरपरिषद् और नगरपालिका बोर्ड की स्थिति में → स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उपनिदेशक को।

☆☆

धारा 122 → परिसीमा तथा दावाकृत का पूर्व निक्षेप (deposit)

(i) नोटिस जारी की तारीख से 30 दिन में
(ii) 25% दावाकृत रकम नगरपालिका में जमा करवाने के पश्चात ही संभव है

धारा 123 ⇒ खर्चे → (Costs) →

धारा 124 → कराधान के मामले में सिविल तथा दाण्डिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन →

(i) आक्षेप (objection) ×
(ii) कर निर्धारक को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है
(iii) आदेश के विरुद्ध अपील ⇒ आदेश को अपास्त / परिवर्तित करने की अपील अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(Review)
पुनर्विलोकन ⇒ आदेश की तारीख से 3 माह में।

125 → व्यावृत्तियाँ (Savings) →

→ भूलवश या लेखन की गलती से विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं

→ करो का उद्ग्रहण सम्पत्ति का हक नहीं समझा जाएगा।

धारा 126 → दायित्व प्रकट करने की बाध्यता →

धारा 127 → करों को वसूल करने का दायित्व →

- मुख्य नगरपालिका अधिकारी का

(या)

- उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी

↓

धारा 102 व 103 के तहत

धारा 128 ⇒ कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना →

- → वसूलीय → tax.
- → किराए के पेटे नगरपालिका द्वारा दिए गए भवन या अन्य संपत्ति के संबंध में संदाय राशि है।

धारा 129 → बिल की अन्तर्वस्तुएं →

(i) वह कालावधि जिसके लिए
(ii) संपत्ति / वस्तु जिसके संबंध में राशि का दाता है
→ संदाय के व्यतिक्रम की स्थिति में उपगत होने वाला दायित्व
→ अवधि जिसके भीतर अपील की जा सकेगी उसका भी उल्लेख होता है

धारा → 130 <u>मांग का नोटिस</u> →

(128) के तहत → कर का बिल ⇒

↓

15 दिन के भीतर अगर संदाय नहीं होता है तब

↓

धारा 130

↓

Notice of Demand → [मांग का नोटिस]

↓

चौथी अनुसूची के तहत दिए गए प्रारूप

धारा 131 → जिन मामलों में वारण्ट जारी किया जा सकता है? →

THANK YOU

For Join Our Session